



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

पत्रांक : ग.वि.वि./प्रशासन/2025/272

दिनांक : 24/04/2025

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ईमेल पत्र संख्या F.No. 67-3/2021(CU) Vol.I/126272 Dated 24 April, 2025 एवं वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या No. 1/1(1)/2025-E.III(B) Dated 02 April, 2025 के अनुपालन में वित्त अनुभाग की सहमति पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01-01-2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 55% किए जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1. विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01-01-2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 55% की दर से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक/नियत वेतन कर्मियों जिनको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अनुमन्य है एवं वेतन आहरण विश्वविद्यालय मुख्य खाते से किया जा रहा है, दिनांक 01-01-2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 55% की दर से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. स्ववित्त पोषित विभागों के अन्तर्गत विभागीय मद से वेतन आहरित करने वाले नियमित कार्मिकों एवं ऐसे दैनिक/नियत वेतन कर्मियों जिनको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी से विभागीय मद में धन उपलब्धता विषयक संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 01-01-2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान 55% की दर से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त परिसर निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्रभारी, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर केन्द्र को इस आशय से कि सम्बन्धित आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, कुलसचिव।
6. वेतन प्रकोष्ठ।

कुलसचिव